

सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत अम्बिकापुर, उदयपुर एवं लखनपुर परिक्षेत्र के 0.735 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं 0.002 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 0.737 हेक्टेयर में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या PF/CG/Other/20845/2016

1	परियोजना/स्कीम का स्थान	Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for OFC Cable laying along Ambikapur to Salhi Route in Ambikapur, Udaipur & Lakhanpur Range, area 0.737 ha.
I	राज्य/संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
II	जिला	सरगुजा
III	वन प्रभाग	सरगुजा वन मण्डल
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि - 0.735 हे०, आरक्षित वन भूमि - 0.000 हे० राजस्व वन भूमि - 0.002 हे० कुल - 0.737 हे०
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि
VI	वनस्पति का घनत्व	0.0 से 0.5 तक
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर. एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4मी. भी संलग्न किए जाए।	परियोजना के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।
VIII	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रस्तावित परियोजना अम्बिकापुर से साल्ही ओ. एफ.सी. केबल बिछाने बाबत् संरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में भू-क्षरण नगण्य है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित परियोजना ओ.एफ.सी. केबल बिछाने का कार्य वनभूमि से गुजर रहा है।
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	प्रस्तावित वनक्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर का भाग नहीं है। उक्त क्षेत्र में जंगली हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों का विवरण वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में होता है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	प्रस्तावित वनक्षेत्र में दुर्लभ/संकटापन्न प्रजातियाँ नहीं पायी जाती है।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्विक/पारम्परिक	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल बिछाने हेतु सम्मिलित संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि

E:/DM/FCA PROPOSAL/RELAINCE JIO/SITE INSPECTION.

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

	स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	अंतर्गत ऐतिहासिक स्थल व स्मारक स्थित नहीं है। तदाशय का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-I कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल बिछाने हेतु सम्मिलित संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि अंतर्गत आवेदक संस्थान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा मांग की गई भूमि न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	परियोजना के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	—
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	—
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	—
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न।
6	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

E:/DM/FCA PROPOSAL/RELAINCE JIO/SITE INSPECTION.

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

I	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4043.299 वर्ग कि.मी.
II	वनमण्डल का वन क्षेत्र	144015.367 हेक्टेयर
III	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	3120.913 हे.
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	3982.505 हे.
क	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनेत्तर भूमि	निरंक
ट	वर्ष 2015-16 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	3982.505 हे.
क	वनभूमि	2823.259 हे.
ख	वनेत्तर	निरंक।
7	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिशें।	राष्ट्रहित में प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तारीख - 04.07.2017

स्थान - अम्बिकापुर

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर